न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी दाताराम आर.ए.एस

मु0नं0 39/2019

तारीख रजू:- 23.07.2019

मंगल पुत्र कजोडया जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

:- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली -रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.01.2019 न्यायालय तहसीलदार टोडाभीम मुकदमा नम्बर 26/2019 उनवानी सरकार बनाम मंगल धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः-1 श्री मनोज कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय दिनांक 18.10.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपील अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडाभीम के निर्णय दिनांक 28.01.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट की ओर से पेश कर अवगत कराया गया है कि मातहत अदालत ने बिना नोटिस की प्रोपर तामील नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। साक्ष्य अधिनियम एवं जाप्ता दीवानी के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुए निर्णय पारित कर दिया है जो काविले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से लिखित एवं मौखिक रूप से बखूवी सही तथ्य पेश किये गये है कि विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का ने साजिसी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी रिपोर्ट को आधार मान कर वेदखली शास्ती एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो कानूनंन विरूद्व है। अपीलान्ट इज्जतदार गरीब कास्तगार है। ओर उसकी समाज में प्रतिष्ठा धुमिल होती है। अपीलान्ट अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का होने पर इस निर्णय की जानकारी दिनांक 28.06.2019 को होने पर नियमानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा में पृथक से म्याद अधिनियम दफा 5 का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि जानकारी के अभाव में उक्त अवधि को कण्डौन फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जिसमे अंकन किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा साजिसी तोर पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। सी.पी.सी. के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बंध में कोई साक्ष्य नही लिये गये है। ना ही पटवारी हल्का से जिरह कराई गई है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मान कर अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन मे तहसीलदार टोडाभीम दिया गया निर्णय सही व कानूनन है। अतिक्रमी भूमि पर अतिचार करने का आदि है। भूमि सार्वजनिक है जिसका उपयोग आमजन के पशु नही कर रहे है। अपीलान्ट को बेदखल करना आवश्यक रहा है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलान्ट की लिखित बहस एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का बौल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 1133 रकवा 0.10 है0 चारागाह भूमि पर गैहू बौ कर सम्बत 2075 रवि में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट ग्राम विशनपुरा तहसीलदार टोडाभीम में तहसीलदार के न्यायालय में पेश की गई थी जिसमे न्यायालय द्वारा अपीलान्टी को नोटिस जारी किया गया जिसमें तामील अपीलान्ट के पुत्र नें प्राप्त की गई है। नियत तारीख पर अपीलान्ट की ओर से उसका भाई अमरसिह उपस्थित आया उसने किसी प्रकार का जबाव आदि पेश नही किया जहा पर वकील अपीलान्ट का कथन है कि भूमि पर कब्जा नही है ओर स्वयं को प्रोपर तामील नही हुई है। वहा पर पत्रावली का अवलोकन करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश के मुताविक दिनांक 26.02.2019 को भू–अभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी द्वारा अपीलान्टी/अतिकमी को वेदखल करते हुए गैहू की फसल नीलाम की गई थी जिसकी अंतिम बोली स्वयं अपीलान्टी द्वारा 200 रूपये में फसल प्राप्त की जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अतिचार किया गया है किन्तु पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पूर्व में अतिक्रमण से वेदखल करने का पेश नही किया गया है। मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे पूर्व अतिक्रमण लिखना ही पर्याप्त नही होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उपनियमो के तहत पश्चातवर्ती अतिचार को साबित करने के लिऐ मौके पर गत वर्षो मे हुये अतिचार को दस्तावेजो के आधार पर साबित करना होता है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज शामिल नही है। जिसे इसे पश्चातवर्ती अतिचार माना जावे। यह अतिचार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रथम बार अतिक्रमण होने का प्रकट करता है। पैरोकार सरकार ने ऐसा कोई दस्तावेज दौराने बहस भी पेश नही किया गया है जिससे यह अतिचार पश्चातवर्ती हों फिर भी भूमि किस्म से चारागाह होने पर आम जनता के उपयोग उपभोग की है जिसे अपीलान्ट ने आमजन के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली का निर्णय दिनांक 28.01.2019 मे से सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर अपास्त की जाती है। कि तहसीलदार इस भूमि का स्वयं मौका देखे ओर मौके पर अपीलान्टी/अतिकमी का अतिक्रमण हटा लिया गया है ओर भूमि खाली होने पर स्वयं सन्तुष्ठ हो जाता है तो सजा माफ रहेगी अन्यथा सम्पूर्ण आदेश यथावत रहेगे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली